रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 877] नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2009/ज्येष्ठ 11, 1931

No. 877] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2009/JYAISTHA 11, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2009

(आय-कर)

का.आ. 1386(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को संख्या का.आ. 2022(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

उक्त अधिसूचना में, कॉलम संख्या 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों की अनुसूची में, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. सं.	आयकर प्राधिकारी का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	आयकर आयुक्त (बड़ी करदाता इकाई), चेन्नई	चेन्नई	"सभी मामले जो इस समय मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-I से VI, चेन्नई, आयकर महानिदेशक (जांच), चेन्नई, आयकर निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), चेन्नई के क्षेत्राधिकार में हैं जिनमें बड़ी करदाता इकाई योजना को चुनने के लिए सहमति पत्र दिया गया है और जिनमें वित्त वर्ष 2004-2005 या किसी परवर्ती वित्त वर्ष में निम्नलिखित भुगतान किए गए हैं : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अंतर्गत पाँच करोड़ रुपए या इससे अधिक का नगद या चालू खाता में उत्पाद शुल्क; अथवा

(ख) सेवा कर नियमावली, 1994 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पाँच करोड़ रुपए या इससे अधिक का नगद या चालू खाता में सेवा कर; अथवा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दस करोड़ रुपए या इससे अधिक का अग्रिम कर ।"

यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 47/2009/फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-I (पार्ट)]

पदम सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3 में अधिसूचना सं. 284/07 [फा. सं. 187/17/2007-आ.क.नि.-I], दिनांक 30 नवम्बर 2007 के तहत प्रकाशित हुई थी ।